प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 30/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर परामर्श पत्र टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 13 मई, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 22 अप्रैल, 2020 को ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की थी । हितधारकों से परामर्श पत्र लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 20 मई, 2020 और 3 जून, 2020 रखी गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में उद्योग संघों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 3 जून, 2020 और 17 जून, 2020 करने का विनिश्चय किया गया है। समयसीमा बढ़ाने के किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) को advfea2@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।**